राजीव कुमार
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०-08/2018- 3966 /वि०स० । 14 । 5 । 18

प्रिय .....

षोडश बिहार विधान सभा का नवम् सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक 26 फरवरी, 2018 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 03 अप्रील, 2018 को सभा की बैठक के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । नवम् सत्र में कुल बाईस (22) बैठकें संपन्न हुई ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा षोडश बिहार विधान सभा के नवम् सत्र के शुभारंभ के अवसर पर माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए उल्लेख किया गया कि पिछले सप्ताह ही हमलोगों ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत प्रक्षेत्र का छठा सम्मेलन पटना में आयोजित किया । भारत प्रक्षेत्र के किसी भी पूर्व के सम्मेलन में इतनी अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी नहीं होती थी । इस आलोक में इस सम्मेलन का स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय बन गया । आप सभी माननीय सदस्यों, पूर्व सदस्यों एवं सरकार के सहयोग से ही यह आयोजन सफल हुआ है तथा इससे बिहार की छवि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निखरी है । ''विकास कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की भूमिका'' तथा ''विधायिका एवं न्यायपालिका-लोकतंत्र के दो मजबूत स्तम्भ'' जैसे दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर सारगर्भित विमर्श हुआ । इसमें भाग लेने आयीं लोक सभा की अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन के अलावा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की कार्यकारिणी की अध्यक्ष, श्रीमती एमीलिया लिफाका एवं महासचिव श्री अकबर खान ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ बिहार शाखा द्वारा नागरिक समाज के साथ संवाद एवं विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर गोष्ठियों आदि के आयोजन की सराहना की ।

लोक सभा अध्यक्ष ने बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किये जाने संबंधी प्रावधान जोड़े जाने को उपयुक्त बताया एवं लोक सभा की नियमावली में भी एतदर्थ संशोधन किये जाने के संबंध में विचार किये जाने की बात कही ।

सम्मेलन की सफलता हेतु बिहार विधान मंडल के सभी सदस्यों एवं सरकार विशेष रूप से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ । उन सभी लोगों के प्रति जिन्होंने इस आयोजन में सहयोग किया है उसे हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ । इस सत्र में सतत् विकास लक्ष्यों के संदर्भ में बिहार में चलाए जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर विमर्श, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित विकास के विश्वस्तरीय मानकों एवं मापदंडों के प्रति बिहार की विधायिका का जुड़ाव एवं संवेदनशीलता प्रदर्शित करेगा । मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन के इस सत्र के सफल संचालन में आप सबों का सकारात्मक सहयोग निरंतर प्राप्त होता रहेगा ।

राज्यपाल का अभिभाषण

वर्ष 2018 के प्रथम सत्र के आरम्भ पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अनुसरण में बिहार के महामहिम राज्यपाल, श्री सत्य पाल मलिक द्वारा एक साथ समवेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को दिनांक 26 फरवरी, 2018 को सम्बोधित किया गया । श्री नरेन्द्र नारायण यादव, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा श्री संजय सरावगी, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा अनुमोदन किया गया । धन्यवाद ज्ञापन के प्रस्ताव पर दिनांक 27 एवं 28 फरवरी, 2018 को वाद-विवाद हुआ तथा प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित किया गया ।

शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान

षोडश बिहार विधान सभा के इस सत्र में निर्वाचन क्षेत्र संख्या- 205 (भभुआ) एवं 216 (जहानाबाद) के उप निर्वाचन, 2018 में निर्वाचित सदस्य क्रमशः श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय एवं श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव द्वारा शपथ ग्रहण किया गया है ।

अनुमत विधेयक

दिनांक 26 फरवरी, 2018 को अष्टम् सत्र में बिहार विधान मंडल द्वारा पारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत 3 (तीन) विधेयक के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया :-

(1) बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक, 2017

(2) बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2017

(3) बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 2017

वित्तीय कार्य

दिनांक 27 फरवरी, 2018 को वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आय-व्ययक उपस्थापित किया गया ।

दिनांक 05 मार्च, 2018 को वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श एवं सरकार का उत्तर हुआ । वित्तीय वर्ष 2018-2019 में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर 12 दिनों तक वाद-विवाद चला । सभी प्राप्त कटौती प्रस्ताव को अमान्य कर दिया गया तथा अनुदानों की मांग ध्वनि मत से पारित हुआ एवं शेष अनुदानों की मांग गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत हुआ । तत्संबंधी दिनांक 27 मार्च, 2018 को बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018 पारित हुआ ।

दिनांक 27 फरवरी, 2018 को वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया । दिनांक 06 मार्च, 2018 को तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित स्वास्थ्य विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात सभा द्वारा स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त बिहार विनियोग विधेयक, 2018 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
2. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (ए) (2) के तहत् बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम का वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
3. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा-40(3) के तहत् पत्रांक-03, दिनांक- 01.01.14 / 9493, दिनांक- 12.12.14 / 3664, दिनांक- 23.06.14 / 386, दिनांक- 21.01.14 / 432, दिनांक- 23.01.14 / 388, दिनांक- 21.01.14 / 4342, दिनांक- 29.05.15 / 8815 एवं 8817, दिनांक- 19.11.15 / 923, 924, दिनांक- 08.02.16 / 2151, दिनांक- 31.03.16 एवं 2910, दिनांक- 19.06.16 द्वारा निर्गत विभागीय नियमावली, अधिसूचना एवं मार्गदर्शिका की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
4. पंचायती राज विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-146(2) के तहत् "बिहार जिला योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन (संशोधन) नियमावली, 2017 की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
5. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा-11 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में तृतीय तिमाही के प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

6. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
7. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के परिणाम बजट की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
8. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के जेन्डर बजट की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
9. उप मुख्य (वित्त) मंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खंड-1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'', जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
10. उप मुख्य (वित्त) मंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा प्रस्ताव किया गया कि ''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खंड-1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' को विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात्, उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''
11. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत् निर्गत् अधिसूचना संख्या - एस०ओ०-255, 256, दिनांक-24.10.2017 / एस०ओ०-257, 258, दिनांक- 30.10.2017 / एस०ओ०-263, 264, दिनांक-08.11.2017 / एस०ओ०-267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, एवं 280, दिनांक-14.11.2017 / एस०ओ०-281, 282, दिनांक-16.11.2017 / एस०ओ०-294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 एवं 301, दिनांक-22.11.2017 / एस०ओ०-131, 137, दिनांक-25.01.2018 / एस०ओ०-02, दिनांक-02.01.2018 / एस०ओ०-123, 124, 125, 126, दिनांक-23.01.2018 / एस०ओ०-129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, दिनांक-25.01.2018 / एस०ओ०-140, दिनांक-31.01.2018 / एस०ओ०-141, 142, दिनांक-03.02.2018 एवं / एस०ओ०-144, दिनांक-06.02.2018 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
12. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा-10(4) (यथा बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013 की धारा-38) के निर्गत अधिसूचना संख्या-261 एवं 262, दिनांक-07.11.2017 की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
13. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-99 के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-139, दिनांक-30.01.2018 एवं एस.ओ.-143, दिनांक-05.02.2018 की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
14. समाज कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार सामाजिक सुरक्षा सेवा नियमावली, 2004 / बिहार बाल संरक्षण सेवा (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2014 / बिहार बाल विकास सेवा (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2015 / बिहार सामाजिक सुरक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017 / बिहार बाल संरक्षण सेवा (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2017 / बिहार बाल विकास सेवा (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2017 एवं बिहार समेकित बाल विकास सांख्यिकी सहायक संवर्ग नियमावली, 2017 की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
15. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा-40(3) के तहत् संकल्प संख्या-976, दिनांक- 06.02.14 / अधिसूचना संख्या-5388, दिनांक-20.10.17 / अधिसूचना संख्या-4109, दिनांक- 18.08.17 / अधिसूचना संख्या- 3614, दिनांक-25.07.17

एवं संकल्प संख्या-1239, दिनांक-09.03.18 द्वारा निर्गत विभागीय नियमावली, अधिसूचना एवं मार्गदर्शिका की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

16. भवन निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए (2) के तहत् बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुरःस्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार विनियोग विधेयक, 2018
2. बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018
3. बिहार विद्युत शुल्क विधेयक, 2018
4. बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् विधेयक, 2018
5. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018

याचिका

इस सत्र में कुल 336 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 296 स्वीकृत हुए तथा 40 अस्वीकृत हुआ ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 507 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 500 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 07 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल 4066 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 3151 प्रश्नों की सूचनाएँ स्वीकृत किया गया । स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में 45 अल्पसूचित, 2659 तारांकित एवं 447 अतारांकित थे । इन स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में से 247 प्रश्न उत्तरित हुए तथा 564 प्रश्नोत्तर सभा पटल पर रखे गये । अपृष्ठ प्रश्नों की संख्या 68, उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या 18 एवं 2254 प्रश्न अनागत हुए ।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 318 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 38 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी तथा 117 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया एवं 163 ध्यानाकर्षण सूचनायें अमान्य हुए ।

शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा लोकहित के विभिन्न विषयों को उठाया गया ।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में कुल 252 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 238 सूचनाएँ स्वीकृत तथा 14 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं में से 128 सूचनाएँ सदन में वापस लिये गये, 06 सूचनाएँ सदन द्वारा स्वीकृत हुये तथा 104 सूचनाएँ अपृष्ठ हुये ।

सतत् विकास लक्ष्यों के लिए निर्धारित कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर विमर्श

दिनांक 03 अप्रील, 2018 को बिहार विधान सभा में प्रथम बार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संकल्पित सतत् विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्धारित कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर सदन में सार्थक विमर्श हुआ ।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतृप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय देवनाथ प्रसाद, पूर्व स०वि०स०
2. स्वर्गीय जलालुद्दीन अंसारी, पूर्व स०वि०स०
3. स्वर्गीय जयमंगल सिंह, पूर्व स०वि०स०
4. स्वर्गीय शाहिद अली खान, पूर्व स०वि०स०
5. स्वर्गीय सत्येन्द्र नारायण सिंह, पूर्व स०वि०प०
6. स्वर्गीय रघुनाथ झा, पूर्व स०वि०स० एवं पूर्व सांसद
7. स्वर्गीय अवध कुमार सिंह, पूर्व स०वि०प०
8. स्वर्गीय राधाकान्त यादव, पूर्व स०वि०स०
9. स्वर्गीय डॉ० फगुनी राम, पूर्व स०वि०स० एवं पूर्व सांसद
10. स्वर्गीय अरूण कुमार सिंह, पूर्व स०वि०स०
11. स्वर्गीय युगल किशोर प्रसाद सिंह, पूर्व स०वि०स०
12. स्वर्गीय डॉ० हरेन्द्र किशोर सिंह, पूर्व स०वि०स०

इसके अतिरिक्त इराक के मोसुल में मारे गये बिहार के पाँच मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की गयी ।

दिनांक 03 अप्रील, 2018 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी ।

सधन्यवाद

सेवा में,

.....

.....

.....

आपका विश्वासी

8/5/18

(राजीव कुमार)

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

दि० 05.2018